(79)

संख्या 1503 / I I–2011–03(30) / 2011

प्रेषक,

आर0सी0 लोहनी,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

सिंचाई अनुभाग

देहरादून : दिनांक 13 सितम्बर, 2011

विषय : **वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य सैक्टर के अन्तर्गत विभिन्न मदों में बजट प्राविधान के सापेक्ष धनावंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रसंख्या 2043 / मु0अ0वि0 / बजट / बी–1,सामान्य, दि0–01.06.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **संलग्नक–1** में अंकित विवरणानुसार राज्य सैक्टर के आयोजनागत पक्ष अन्तर्गत विभिन्न मदों में ₹ 82.00 लाख (₹ बयासी लाख मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में व्यय हेतु आपके निर्वतन पर निम्न शर्तों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है, तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
2. धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।
3. धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।
4. उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
5. जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।
6. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के निस्तारण पर रखी जा रही धनराशि को आहरण एवं वितरण अधिकारियों को प्राविधान / परिव्यय, जो भी कम हो, की सीमा तक तत्काल अवमुक्त किया जाए जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
7. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0–17 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
8. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

क्रमशः.....2

9. विभागीय कार्य करने से पूर्व सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
10. त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दि0 31 मार्च, 2012 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।
11. धनराशि आहरण सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।
12. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–20 के अन्तर्गत आयोजनागत मद के अन्तर्गत संलग्नक–1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक/उपलेखाशीर्षक के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 360/XXVII(2)/2011 दिनांक 09 सितम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(आर0सी0 लोहनी)
संयुक्त सचिव।

संख्या 1503(1)/ II–2011–03(30)/2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, सिंचाई मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय ।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
5. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
9. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।

संलग्नक–1

संख्या–1503 / ।।–2011–03(30) / 2011, दि0– 13 सितम्बर, 2011 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	योजना / लेखाशीर्षक	बजट प्राविधान	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	4	5
1	4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 01–जमरानी बांध 800–अन्य व्यय 02–अन्य रखरखाव 0201–निर्माण कार्य 24–वृहत् निर्माण कार्य	30.00	30.00
2	4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 052–मशीनरी तथा उपस्कर 03–नवीन सम्पूर्ति 12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण 26–मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयन्त्र	6.00 6.00	6.00 6.00
3	4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 80–सामान्य 003–प्रशिक्षण 03–निर्माण कार्य 24–वृहत् निर्माण कार्य	15.00	15.00
4	4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 80–सामान्य 004–शोध कार्यक्रम का विस्तार 03–निर्माण कार्य 42–अन्य व्यय	25.00	25.00
	योग	**82.00**	**82.00**

(₹ बयासी लाख मात्र)

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।